तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	17.07.2020 अपीलार्थी सोना देवी पत्नि सज्जन पुत्री गंजिया जाति बंजारा नि0 पालडी ब्राह्मणों का मौहल्ला तहसील भीलवाडा की ओर से श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट ने नामान्तकरण संख्या 518 दिनांक 12.12.2017 ग्राम महूँकलां के विरूद्ध यह नामान्तरकरण अपील हमारे समक्ष पेश की। अपीलार्थी के वकील को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज की जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स की तलवी जरिए नोटिस की जावे एवं मूल नामान्तकरण अधीनस्थ कार्यालय से मंगवाया जावे एवं तलवी रेस्पोन्डेन्टस की जाकर पत्रावली दिनांक 24.07.2020 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	
	24-7-2020 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी /रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है। अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26-8-2020 को पेश हो। अप्रार्थी नं० 1 उपस्थित है। रीडर	
	26-8-2020 वकील अपीलार्थी उप० है। मूल नामान्तरकरण प्राप्त हो चुका है। वास्ते बहस पत्रावली दि० 31-8-2020 को पेश हो।	मूल नामा० संलग्न है। मूल नामा० [illegible] 5.9.2020 [illegible]
	31-8-2020 वकील अपीलार्थी [illegible] बहस सुनी गई। अपील स्वीकार की जाकर अधीन नामा० 518 दि० 12.12.17 ग्राम महूकलां निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार गंगापुरसिटी को रिमाण्ड किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:28:48 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय न्यायालय श्री अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
3/2020	17.7.2020	31.8.2020

सोनी देवी पत्नी सज्जन पुत्री गंजिया जाति बंजारा निवासी ग्राम पालडी, बहरूपों का मोहल्ला तहसील भीलवाडा ——अपीलार्थी

बनाम

1.ग्राम पंचायत महूकलां तहसील गंगापुर सिटी

2. लैण्ड होल्डर व उप पंजीयक तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रत्यार्थीगण

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 518

दिनांक 12.12.2017 ग्राम महूकलां तहसील गंगापुर सिटी

उपस्थित :—श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट, अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 518 दि0 12.12.2017 ग्राम महूकलां इस आशय की पेश की है कि अपीलाथी के पिता की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 593 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 603 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 600 रकबा 0.31 है0 ग्राम महूकलां में स्थित रही है। अपीलार्थी के पिता के देहान्त के बाद उक्त भूमि में विरासत का नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम तस्दीक किया गया तब से अपीलार्थी इस भूमि का उपयोग करती आ रही है। दिनांक 20.6.2014 को अपीलार्थी के भाई कमवर्या ने उसके 1/30 हिस्से का हक त्यागपत्र अपीलार्थी के हक में रजिस्टर्ड करवा दिया। इस तरह इस भूमि में अपीलार्थी का 1/15 हिस्सा वाजिब बनता है। हकत्याग के बाद अपीलार्थी ने हक त्यागपत्र की फोटोकोपी सरपंच को देकर अपीलार्थी के हक में नामान्तरकरण की कार्यवाही करने बाबत् कहा तो सरपंच ने कहा इसमें समय लगता है, जब भी काम हो जावेगा मैं तुम्हें सूचित कर दूंगी। काफी दिन व्यतीत होने के बाद अपीलार्थी ने सरपंच से जानकारी चाही तो उसने कहा अब मैं सरपंच नहीं हूं। इस पर अपीलार्थी ने तहसील में जाकर रिकार्ड की नकल ली तो पता चला कि ग्राम पंचायत व राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश नामान्तरकरण का गलत इन्द्राज कर दिया। रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र के आधार पर कमवर्या की भूमि व अपीलार्थी के नाम पूर्व से दर्ज भूमि की मिलकर 1/15 हिस्सा की भूमि दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु सरपंच व राजस्व कर्मचारियों ने कमवर्या के नाम 1/15 भूमि का अंकन राजस्व रिकार्ड में कर दिया व भूमि से अपीलार्थी का नाम हजफ कर दिया। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 518 दिनांक 12.12.2017 ग्राम पंचायत महूकलां निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी के हक में नामान्तरकरण खोला जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:28:48 IST
Reason: SelfAttested

अपील के साथ अपीलार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 ग्राम महूकलां, नकल नामान्तरकरण संख्या 518 दिनांक 20.12.2017 ग्राम महूकलां प्रस्तुत किए हैं।

अपील दर्ज की जाकर प्रत्यार्थीगण को तलब किया गया । प्रत्यार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 518 दिनांक 20.12.2017 मंगवाया गया जो जो मूल प्राप्त हुआ एवं पत्रावली में संलग्न है।

बहस विद्वान वकील अपीलार्थी सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अपनी अपील के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि में 1/30 हिस्सा दर्ज रहा है। अपीलार्थी के भाई कमवर्या का भी इस भूमि में 1/30 दर्ज रहा है। अपीलार्थी के भाई कमवर्या ने रजिस्टर्ड हक त्यागपत्र दिनांक 20.6.2014 द्वारा अपना 1/30 हिस्सा अपीलार्थी के हक में त्याग कर दिया। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में अपीलार्थी का 1/15 हिस्सा हो गया। इस हक त्यागपत्र के आधार पर अपीनलाधीन नामान्तरकरण खोला गया उसमें गलती से अपीलार्थी का हिस्सा भी अपीलार्थी के भाई कमवर्या के नाम दर्ज कर दिया गया है एवं भूमि से अपीलार्थी का नाम ही हजफ कर दिया गया है जो गलत है। अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि में 1/15 हिस्सा दर्ज कराने एवं कमवर्या का हिस्सा हजफ कराने की अधिकारी है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी के नाम वादग्रस्त भूमि में हिस्सा 1/15 राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। रजिस्टर्ड हकत्यागपत्र दिनांक 20.6.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार कमवर्या ने वादग्रस्त भूमि ख0नं0 593 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 603 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 600 रकबा 0.31 है0 ग्राम महूकलां में दर्ज उसका हिस्सा अपीलार्थी के पक्ष में हकत्याग कर दिया। इस हकत्याग पत्र के आधार पर दर्ज अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 518 दिनांक 20.12.2017 ग्राम महूकलां के अवलोकन से स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड हकत्यागपत्र दिनांक 20.6.2014 के अनुसार यह नामान्तरकरण नहीं भरा गया है। हकत्यागपत्र के अनुसार कमवर्या का हिस्सा अपीलार्थी के नाम दर्ज होना चाहिए था परन्तु अपीलाधीन नामान्तरकरण में सोना देवी का हिस्सा कमवर्या के नाम दर्ज कर दिया गया है जो रजिस्टर्ड हकत्यागपत्र दिनांक 20.6.2014 के बिल्कुल विपरीत है। इस प्रकार अपीलार्थी इस गलत दर्ज हुए नामान्तरकरण को निरस्त करवाने एवं रजिस्टर्ड हकत्यागपत्र दि0 20.6.2014 के अनुसार भूमि में अपना नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:28:48 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 518 दिनांक 20.12.2017 ग्राम महूकलां

अपील के साथ अपीलार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 ग्राम महूकलां, नकल नामान्तरकरण संख्या 518 दिनांक 20.12.2017 ग्राम महूकलां प्रस्तुत किए हैं।

अपील दर्ज की जाकर प्रत्यार्थीगण को तलब किया गया । प्रत्यार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 518 दिनांक 20.12.2017 मंगवाया गया जो जो मूल प्राप्त हुआ एवं पत्रावली में संलग्न है।

बहस विद्वान वकील अपीलार्थी सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अपनी अपील के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि में 1/30 हिस्सा दर्ज रहा है। अपीलार्थी के भाई कमवर्या का भी इस भूमि में 1/30 दर्ज रहा है। अपीलार्थी के भाई कमवर्या ने रजिस्टर्ड हक त्यागपत्र दिनांक 20.6.2014 द्वारा अपना 1/30 हिस्सा अपीलार्थी के हक में त्याग कर दिया। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में अपीलार्थी का 1/15 हिस्सा हो गया। इस हक त्यागपत्र के आधार पर अपीनलाधीन नामान्तरकरण खोला गया उसमें गलती से अपीलार्थी का हिस्सा भी अपीलार्थी के भाई कमवर्या के नाम दर्ज कर दिया गया है एवं भूमि से अपीलार्थी का नाम ही हजफ कर दिया गया है जो गलत है। अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि में 1/15 हिस्सा दर्ज कराने एवं कमवर्या का हिस्सा हजफ कराने की अधिकारी है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी के नाम वादग्रस्त भूमि में हिस्सा 1/15 राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। रजिस्टर्ड हकत्यागपत्र दिनांक 20.6.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार कमवर्या ने वादग्रस्त भूमि ख0नं0 593 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 603 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 600 रकबा 0.31 है0 ग्राम महूकलां में दर्ज उसका हिस्सा अपीलार्थी के पक्ष में हकत्याग कर दिया। इस हकत्याग पत्र के आधार पर दर्ज अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 518 दिनांक 20.12.2017 ग्राम महूकलां के अवलोकन से स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड हकत्यागपत्र दिनांक 20.6.2014 के अनुसार यह नामान्तरकरण नहीं भरा गया है। हकत्यागपत्र के अनुसार कमवर्या का हिस्सा अपीलार्थी सोना के नाम दर्ज होना चाहिए था परन्तु अपीलाधीन नामान्तरकरण में सोना का हिस्सा कमवर्या के नाम दर्ज कर दिया गया है जो रजिस्टर्ड हकत्यागपत्र दिनांक 20.6.2014 के बिल्कुल विपरीत है। इस प्रकार अपीलार्थी इस गलत दर्ज हुए नामान्तरकरण को निरस्त करवाने एवं रजिस्टर्ड हकत्यागपत्र दि0 20.6.2014 के अनुसार भूमि में अपना नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:28:48 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 518 दिनांक 20.12.2017 ग्राम महूकलां

निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी के पक्ष में हुए रजिस्टर्ड हकत्यागपत्र दिनांक 20.6.2014 के अनुसार कमवर्या के नाम दर्ज भूमि अपीलार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज करने की कार्यवाही करें ।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.8.2020 को सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:28:48 IST
Reason: SelfAttested